यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)** के माह **12/2016** से माह **10/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **17.11.2020** से **26.11.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

## भाग-I

**1. परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **15.12.2016** से **24.12.2016** तक श्री आई.के.जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **04/2014** से **11/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **12/2016** से **10/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

**2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- इकाई द्वारा सीवर लाइन, प्रेशर मेन, एस.पी.एस. एवं एस.टी.पी. बनाये जाने सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं। इकाई द्वारा देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, श्रीकोट एवं रुद्रप्रयाग के नगरीय क्षेत्रों के कार्य सम्पादित कराये जाते हैं।

**(ii) (अ)** विगत पॉच वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

*(धनराशि ` लाख में)*

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | | गैर स्थापना | | बचत/ आधिक्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | बचत/ आधिक्य | आवंटन | व्यय | |
| 2016-17 | 35.473 | 60.929 | 244.165 | 215.108 | 64.530 | 165.491 | 163.227 | 63.193 |
| 2017-18 | 64.530 | 63.193 | 238.693 | 256.344 | 46.879 | 454.435 | 481.522 | 36.106 |
| 2018-19 | 46.879 | 36.106 | 294.260 | 288.960 | 52.179 | 2816.747 | 2191.058 | 661.795 |
| 2019-20 | 52.179 | 661.795 | 242.678 | 275.356 | 19.501 | 263.194 | 529.454 | 395.535 |
| 2020-21 (Upto 10/2020) | 19.501 | 395.535 | 150.62 | 154.017 | 16.104 | 403.216 | 625.645 | 173.106 |

**(ब)** केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

*(धनराशि ` लाख में)*

| योजना का नाम | 2016-17 | | | 2017-18 | | | 2018-19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रारंभिक अवशेष | प्राप्ति | व्यय | प्रारंभिक अवशेष | प्राप्ति | व्यय | प्रारंभिक अवशेष | प्राप्ति | व्यय |
| **NGRBA** | 0.000 | 144.790 | 144.790 | 0.000 | 72.669 | 72.669 | 0.000 | 64.310 | 54.249 |
| ***Namami Gange*** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 364.329 | 364.329 | 0.000 | 2574.665 | 2029.910 |

| योजना का नाम | 2019-20 | | | 2020-21 (Upto 10/2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रारंभिक अवशेष | प्राप्ति | व्यय | प्रारंभिक अवशेष | प्राप्ति | व्यय |
| **NGRBA** | 10.061 | 0.000 | 1.600 | 8.461 | 0.000 | 0.000 |
| ***Namami Gange*** | 544.755 | 188.450 | 422.438 | 310.767 | 319.070 | 530.665 |

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा सीवर लाइन, प्रेशर मेन, एस.पी.एस. एवं एस.टी.पी. बनाये जाने सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक, मुख्य महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियन्ता→महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता→परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता→परियोजना अभियन्ता/सहायक अभियन्ता→अपर परियोजना अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता→सहायक परियोजना अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता।**

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा सीवर लाइन, प्रेशर मेन, एस.पी.एस. एवं एस.टी.पी. से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों / योजनाओं की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **07/2017 एवं 09/2019 (आय)** तथा **09/2018 एवं 06/2020 (व्यय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। सीवर लाइन, प्रेशर मेन, एस.पी.एस. एवं एस.टी.पी. से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों / योजनाओं का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

**(स)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

## भाग II (ब)

### प्रस्तर 1 : ठेकेदारों के बिलों से परिनिर्धारित नुकसान (लिक्विडेटेड डैमेजेज़) के रूप में वसूल की गई धनराशि के ऊपर ` 2,13,805/- की जी.एस.टी. (GST) की वसूली कर राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा न कराया जाना।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल) के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित अनुबन्धों पर समयवृद्धि प्रदान करते समय मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून द्वारा निम्नानुसार ` **19,95,513/-** की लिक्विडेटेड डैमेजेज़ (LD) आरोपित की गई थी:-

| क्र.सं. | योजना का नाम | अनुबन्ध संख्या | अनुबंधित फर्म का नाम | आरोपित की गई Liquidated Damages (LD) |
|---|---|---|---|---|
| **01.** | कीर्तिनगर आई. एण्ड डी. विद एस.टी.पी. | 10/जी.एम./2017-18 | M/s Aastha Enviro Engineers Pvt Ltd., 543Y Pace City-II, Sector-37, Gurugram, (Gurgaon) Haryana | 707126 |
| **02.** | श्रीनगर आई. एण्ड डी. विद एस.टी.पी. | 19/जी.एम./2017-18 | M/s Eco Protection Engineers Pvt. Ltd., Plot No. 943, 54th Street, TVS Colony, Anna Nagar West Extension, Chennai | 315500 |
| **03.** | श्रीनगर स्थित 3.50 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का अपग्रेडेशन कार्य | 19/जी.एम./2017-18 | M/s Eco Protection Engineers Pvt. Ltd., Plot No. 943, 54th Street, TVS Colony, Anna Nagar West Extension, Chennai | 288250 |
| **04.** | रुद्रप्रयाग आई. एण्ड डी. विद एस.टी.पी. | 15/जी.एम./2017-18 | M/s JV(JBM-CEIPL), Coimbatore, Tamil Nadu | 684637 |
| | | | **कुल** | **19,95,513** |

आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (नवम्बर 2020) तक संबन्धित फर्म/फ़र्मों से Liquidated Damages के रूप में आरोपित की गई धनराशि ` **19,95,513/-** की पूर्ण वसूली कर ली गई थी तथा उक्त धनराशि में से ` **3,55,243/-** की धनराशि मुख्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रेषित की गई थी परन्तु GST Act के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार Liquidated Damages के रूप में वसूल की गई धनराशि के ऊपर GST की वसूली कर राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराई नहीं कराई गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित फ़र्मों पर आरोपित की गई एल.डी. की धनराशि ` **19,95,513/-** में से ` **17,81,760/-** पेनल्टी की धनराशि एवं ` **2,13,805/-** की 12% जी.एस.टी. सम्मिलित है। इकाई ने आगे बताया कि इकाई द्वारा जी.एस.टी. की धनराशि मुख्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रेषित की जाती है जिसे मुख्यालय द्वारा संकलित कर राजकोष में जमा कराया जाता है। एल.डी. पर जी.एस.टी. की धनराशि ` **2,13,805/-** इसी माह राजकोष में जमा कराये जाने हेतु मुख्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक वसूल की गई धनराशि ` **19,95,513/-** में से ` **3,55,243/-** की धनराशि जो मुख्यालय को प्रेषित की गई थी उसके सापेक्ष जी.एस.टी. की कोई भी धनराशि न तो इकाई और न ही मुख्यालय द्वारा राजकोष में जमा कराई थी।

अतः इकाई द्वारा एल.डी. के सापेक्ष ` **2,13,805/-** की जी.एस.टी. की धनराशि को राजकोष में जमा न कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-II (ब)

## प्रस्तर-2: शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप न होने के फलस्वरूप योजना के उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीनगर में Pollution Abatement works (Interception & Diversion with STP '1.0 MLD') for River Alaknanda कार्य हेतु 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के अंतर्गत ` 2251.39 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति तथा श्रीनगर नगर में 3.50 MLD STP के अपग्रेडेशन कार्य हेतु ` 1540.50 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मार्च 2017 में प्रदान की गई।

**कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखंड पेयजल निगम, श्रीनगर की लेखापरीक्षा (नवम्बर 2020)** के दौरान संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि उपरोक्त वर्णित कार्यों के निष्पादन हेतु M/s Eco Protection Engineers, Chennai के साथ जनवरी 2018 में 7011.44 लाख का अनुबंध[1] (आई एण्ड डी कार्य हेतु एक वर्ष व एस.टी.पी हेतु 15 वर्ष के संचालन व अनुरक्षण सहित) गठित किया गया। (अनुबंध के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित कार्यों के अतिरिक्त जोशीमठ में आई एण्ड डी विद एसटीपी निर्माण कार्य भी सम्मिलित था जिस का निष्पादन निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखंड पेयजल निगम, गोपेश्वर द्वारा किया जाना निर्धारित था)।

अनुबंध के अंतर्गत श्रीनगर में आई एण्ड डी विद एस.टी.पी कार्य की पूंजीगत लागत ` 1427.22 लाख तथा संचालन व अनुरक्षण लागत ` 646.01 लाख निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार 3.50 MLD एसटीपी के अपग्रेडेशन कार्य की पूंजीगत लागत ` 350.00 लाख तथा संचालन व अनुरक्षण लागत ` 254.83 लाख अनुबंधित थी तथा जनवरी 2019 तक कार्य पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

अभिलेखों में दोनों कार्यों के अंतर्गत व्यय का विवरण अभिलेखों में निम्नवत पाया गया:

*(` लाख में)*

| कार्य का नाम | पूंजीगत लागत | इकाई द्वारा व्यय | यांत्रिक इकाई को निर्गत | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|
| आई एण्ड डी विद एस.टी.पी | 1427.22 | 1081.23 | 334.50 | 1415.73 |
| 3.50 MLD एसटीपी का अपग्रेडेशन | 350.00 | 242.50 | 103.00 | 345.50 |

अभिलेखों के अवलोकन में निम्न अनियमितताएँ अवलोकित हुईं:

- यांत्रिक इकाई को निर्गत धनराशि लेखापरीक्षा सम्पादन के समय तक असमायोजित थी जिस से योजना में विद्युत एवं यांत्रिक कार्य निष्पादित होना स्पष्ट नहीं था।
- अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि ठेकेदार को अक्टूबर 2019 में ही Completion Certificate जारी किया गया जब कि ठेकेदार को जुलाई 2020 में समयवृद्दि की स्वीकृति दोनों कार्यों पर क्रमशः जुलाई 2020 व मई 2020 तक प्रदान की गई थी। कार्यों की भौतिक प्रगति हेतु

[1] 19/GM/2017-1

निर्धारित Milestones के सापेक्ष 09 माह की अवधि में कार्य पूर्ण कर शेष तीन माह में ट्राइल एवं टेस्टिंग का कार्य निर्धारित था परंतु 09 माह के पश्चात 100 प्रतिशत प्रगति के सापेक्ष वास्तविक प्रगति के अवलोकन में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त तालिका में वर्णित दोनों कार्यों पर निर्धारित 100 प्रतिशत प्रगति के सापेक्ष क्रमशः 63 प्रतिशत व 56 प्रतिशत कार्य संपादित कराया गया था।

- कार्य निष्पादन में एन.एम.सी.जी. द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना था जिस में व्यापक रूप से सर्वेक्षण के बाद ही कार्य हेतु विस्तृत डिजाइन तैयार कर कार्य निष्पादित करना था। अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि श्रीनगर स्थित तिवारी मोहल्ला नाला की पूर्ण टेपिंग संभव न हो पाने के कारण केवल आंशिक रूप से टेपिंग की गई जिस के लिए जनवरी 2019 में महाप्रबंधक को नाला की पूर्णरूप से टेपिंग हेतु पंपिंग स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया था। इस के अतिरिक्त सैप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता हेतु जनवरी 2020 में नगर पालिका परिषद से इकाई को भूमि उपलब्ध करने हेतु अनुरोध किया गया। आई एण्ड डी विद एस.टी.पी कार्य में एक एमएलडी एसटीपी का पहुँच मार्ग न होने के कारण उक्त हेतु उत्तराखंड परिवहन निगम, श्रीनगर से भूमि उपलब्ध करने हेतु जनवरी 2020 में प्रयास किया गया। इस प्रकार वर्णित कमियों का आंकलन कार्य निष्पादन से पूर्व नहीं किया गया जिस के कारण निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
- आई एण्ड डी विद एस.टी.पी कार्य निष्पादन में अनुबंधित 12 कार्य मदों के सापेक्ष काफी कम निष्पादन हुआ था जिस में ` 60.98 लाख से संबन्धित कार्य के सापेक्ष मात्र ` 35.43 लाख का कार्य निष्पादित हुआ था। इस के अतिरिक्त ` 73.65 लाख के 06 कार्य मद निष्पादित नहीं किए गए। अतः ` 109.08 लाख से संबन्धित कार्य मदों का निष्पादन नहीं किया जा सका।
- कई कार्य मद 200 प्रतिशत से 373 प्रतिशत तक अधिक निष्पादित हुए जिस से यह स्पष्ट है कि कार्य निष्पादन से पूर्व ड्राइंग डिजाइन हेतु व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया तथा ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से कार्य संपादित किया गया। इस के अतिरिक्त जून 2020 में हुए निरीक्षण के दौरान त्रुटिपूर्ण निष्पादन दृष्टिगत हुआ।
- संबन्धित पत्राचार के अवलोकन में पाया गया कि Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board (UEPPCB), Dehradun के द्वारा जुलाई 2020 में कराई गई जांच में Treated Effluent मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया जिस से यह स्पष्ट था कि एसटीपी का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था।

उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में पूछे जाने पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि वर्णित कार्य लगभग पूर्ण है तथा पहुँच मार्ग के विवाद के कारण लंबित है, इसी कारण Completion Certificate निर्गत किया गया है। उत्तर में आगे बताया गया कि कार्य संपादित करने के दौरान कार्यस्थल की स्थिति अनुरूप कार्य संपादित कराए गए जिस के कारण मदों में विचलन हुआ। त्रुटिपूर्ण निष्पादन के सम्पादन के संबंध में बताया गया कि त्रुटियों को संबन्धित फर्म द्वारा ठीक करा दिया गया है तथा शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप न होने के विषय में बताया गया कि इस संबंध में यांत्रिक इकाई, हरिद्वार को अवगत करा दिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य पूर्ण होने से पहले ही Completion Certificate निर्गत करना अनियमित था। मदों में आवश्यकता से अधिक विचलन से स्पष्ट था कि कार्य निष्पादन से पूर्व व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया तथा अनावश्यक कार्य मदों को अनुबंध में शामिल किया गया था। त्रुटियों को ठीक कराए जाने के संबंध में भी इकाई द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया। यांत्रिक इकाई को

निर्गत धनराशि के उपयोग तथा शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप होने व एसटीपी के सुचारू संचालन को भी इकाए द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अतः समय से पूर्व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाने, अनुबंधित शर्तों के अनुसार परिनिर्धारित हर्जाने की पूरी कटौती न किए जाने, ` 109.08 लाख से संबन्धित कार्य मदों का निष्पादन न किए जाने तथा शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप न होने से यह स्पष्ट था कि कार्य निष्पादन में अनियमितता बरती गई जिस से योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**भाग- II (ब)**

**प्रस्तर: 3– अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि 57426.48 का कम जमा किया जाना।**

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII (10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)। में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिकों को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान का भुगतान कम हो रहा है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम जमा हो रहा है।

उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल चार कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखपरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त सभी कार्मिकों को 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक (09/2020) **कुल धनराशि ₹ 57426.48/- का कम जमा किया गया ।** (चारो कार्मिकों के कम भुगतान का विवरण प्रस्तर के साथ संलग्न है, संलग्नक 1)

उक्त सभी कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम जमा की गई धनराशि **₹ 57426.48/-** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है**:-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या | STAN प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|---|
| 76/2014-15 | 2,3,4 | 01 | शून्य |
| 112/2016-17 | 01 | 2(क), 2(ख) | शून्य |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**:-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| **इकाई द्वारा विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या महाप्रबन्धक निर्माण मण्डल (गंगा) के पत्रांक संख्या 792/ले-5/09 दिनांकित 04.04.2019 के माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान इकाई द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके कारण उपरोक्त अनिस्तारित प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।** | | | | |

## भाग – IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

## भाग – V
## आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

| क्रं.सं. | नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|---|
| 01. | ई. के.के. रस्तोगी | परियोजना प्रबन्धक | 14.08.2012 से 22.12.2017 तक |
| 02. | ई. सी.पी.एस. रावत | परियोजना प्रबन्धक | 23.12.2017 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/10 दिनांकित 27.11.2020 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय ।

**व. लेखापरीक्षा अधिकारी**
**ए.एम.जी.-II (Non-PSU)**